तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27-11-19	~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-12-19 को पेश हो। रीडर
19-12-19	वकील उभयपक्ष उप० । त.अ. प्रा० पत्र इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि अप्रार्थीगण, भूमि ख० नं० $\frac{44}{0.49}$, $\frac{45}{0.03}$, $\frac{108}{0.02}$, $\frac{109}{0.84}$, $\frac{318/451}{0.02}$ $\frac{597}{0.38}$ ग्राम विनेगा की तार्फैसला दावा मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें। ~~प्रभाव~~ विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
39/2017	3.10.2017	19-12-2019

हुकमीराम पुत्र श्याम, मीना निवासी बिनेगा हॉल निवासी महुकलॉ तह0 गंगापुर

——प्रार्थी

बनाम

1. नेमीचंद पुत्र भरोसी, मीना निवासी बिनेगा हॉलवासी ग्लोबल कॉलोनी, ग्लोबल टाउनशिप, मकान न. 8, विनोबा नगर के पास, रतलाम कार्यालय अधीक्षक रतलाम डिवीजन, पश्चिम रेल्वे, रतलाम
2. रामसिंह पुत्र भरोसी, मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी
3. हरिसिंह पुत्र भरोसी, मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी
4. रूपी पुत्र भरोसी, मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हरिशंकर शर्मा,एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री तरूण शर्मा,एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बिनेगा मे भूमि ख0न0 39 रकबा 0.18 है0, ख0न0 40 रकबा 0.25 है0, ख0न0 41 रकबा 0.14 है0, ख0न0 42 रकबा 0.02 है0, ख0न0 108 रकबा 0.02 है0, ख0न0 109 रकबा 0.89 है0, ख0न0 318/451 रकबा 0.02 है0, ख0न0 597 रकबा 0.38 है0 कुल रकबा 1.90 है0 स्थित है जिसमे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों मे भूमि का मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा है। बहामी बंटवारे अनुसार प्रार्थी की आराजी ख0न0 39 रकबा 0.18 है, ख0न0 40 रकबा 0.25 है0, ख0न0 41 रकबा 0.14 है0, ख0न0 42 रकबा 0.02 है कुल रकबा 0.59 है0 ग्राम बिनेगा मे 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि के चरपेटवॉ ख0न0 44 रकबा 0.49 है, ख0न0 45 रकबा 0.03 है0 कुल 0.52 है0 भूमि लक्ष्मीचंद, दुलीचंद, बनीसिंह व लोहडी प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 की सहखातेदारी की भूमि है परन्तु राजस्व रिकार्ड के विपरित प्रार्थी व उपरोक्त प्रतिवादीगण 7 ता 10 मे कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है तथा ख0न0 39, 40, 41, 42 पर प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 का तथा ख0न0 44, 45 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है। दिनांक 5.7.17 को शाम को करीब 7 –8 बजे अप्रार्थीगण 1 ता 4 प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि को हडपने के उद्देश्य से प्रार्थी के खेतो मे

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

आ गये तथा अवैध रूप से जोत लगाकर बाजरे की फसल बोने लगें। प्रार्थी ने मना किया तो झगडा करने पर आमादा हो गये एवं ऐलानिया धमकी दी की या तो हमारा पुराना कर्जा दे दो, नही तो इसी प्रकार हम तुम्हारी जमीन को जोतते रहेगें। अप्रार्थीगण ने यह भी धमकी दी की दुबारा इस भूमि पर मत आ जाना, नही तो हाथ पैर तोड देगें या जान से मार देगें। इसके बाद प्रार्थी पटवारी से मिला और अपनी भूमि के बारे मे जानकारी की तो पटवारी ने बताया कि प्रार्थी जिस भूमि को काश्त कर रहा है वह लक्ष्मीनारायण वगैरा के नाम है तथा लक्ष्मीनारायण वगैरा की भूमि प्रार्थी काश्त कर रहा है। इस प्रकार भूमि की अदला बदली हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूल बाद के निस्तारण जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे ख0न0 44 रकबा 0.49 है0, ख0न0 45 रकबा 0.03 है0, ख0न0 108 रकबा 0.02 है0, ख0न0 109 रकबा 0.84 है0, ख0न0 318/451 रकबा 0.02 है0, ख0न0 597 रकबा 0.38 है0 कुल रकबा 1.83 है0 ग्राम बिनेगा मे प्रार्थी के 1/3 हिस्से के उपयोग उपभोग, कब्जे काश्त, फसल बोने, फसल जोतने मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही किसी अन्य से करावें और ना ही गलत इन्द्राज की आड मे भूमि का रहन वय करे। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध कब्जा नही करे, प्रार्थी को बेदखल नही करे एवं ताफैसला दावा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुआ । अतः इसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा जबाबदारान का चला आ रहा है, प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। दिनांक 5.7.17 की घटना प्रार्थी ने झूठा वाक्या बनाया है एवं यह झूठा मुकदमा प्रस्तुत किया है। जबाबदारान के पिता के प्रार्थी पर 15 लाख रूपया निकलते है जिन्हे प्रार्थी ने अभी तक नही चुका है। विगत 30 वर्ष से वादग्रस्त भूमि पर जबाबदारान का कब्जा चला आ रहा है। कब्जे के अभाव मे टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस, छायाप्रति नकल आदेशिका न्यायालय न्यायिक मजि0 संख्या 1 गंगापुर सिटी, फोटोकॉपी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

नकल एफ.आई.आर., फोटोकॉपी नकल आदेशिका दिनांक 4.12.14 न्यायालय सीनियर सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी आदि प्रस्तुत की हैं।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुक्रम बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 व प्रार्थी की सहमति से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमे प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 पुराने कर्जे की आड मे प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जबकि कर्जे सम्बधित कोई दस्तावेज उन्होने प्रस्तुत नही किये है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी उस भूमि के सम्बन्ध मे स्थगन चाह रहा है जो उसकी खातेदारी मे ही नही है। यदि प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 एक दूसरे की भूमि पर काबिज है तो वे अदल बदल की रजिस्ट्री कराये, आज खातेदारी के अभाव मे एवं कब्जे के अभाव मे प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। भूमि ख0न0 108, 109, 318/451, 597 ग्राम बिनेगा प्रार्थी की सहखातेदारी मे दर्ज है। भूमि ख0न0 44 एवं 45 दावे में प्रतिवादी संख्या लक्ष्मीचंद, दुलीचंद, बनीसिंह, लोहडी हिस्सा 1/2 की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी का यह कहना है कि भूमि ख0न0 44 एवं 45 पर प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 की सहमति से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है एवं प्रार्थी के खाते की भूमि ख0नं0 39, 40, 41, 42 पर प्रार्थी की सहमति से प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 का कब्जा चला आ रहा है। चूकि उपरोक्त सभी नम्बरो मे अप्रार्थीगण की कोई भी खातेदारी अथवा सहखातेदारी दर्ज नही है। इसलिए उपरोक्त नम्बरों के कब्जे काश्त मे, उपयोग उपभोग मे प्रार्थी को अथवा इस भूमि के रिकार्डेड खातेदारो को बाधा पहुचाने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। जहॉ तक अप्रार्थीगण के इस कथन का प्रश्न है कि प्रार्थी पर उनका 15 लाख रूपये कर्जा है, अप्रार्थीगण ने इस सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जबकि इस न्यायालय द्वारा उन्हे दस्तावेज के साथ प्रस्तुत होने की हिदायत भी दी गई थी। इस प्रकार प्रस्तुत मामले मे वादग्रस्त भूमि से प्रथम

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

दृष्टया अप्रार्थीगण का कोई वास्ता होना प्रतीत नही होता है। चूकि भूमि ख0न0 44 एवं 45 प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थी की खातेदारी मे न होकर दावे मे प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 की खातेदारी मे है एवं ख0न0 108, 109, 318/451 व 597 भी पूर्ण रूप से प्रार्थी की खातेदारी मे न होकर इन नम्बरो मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। ऐसी स्थिति मे हम वादग्रस्त भूमि की ताफैसला दावा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद करना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि अप्रार्थीगण भूमि ख0न0 44 रकबा 0.49 है0, ख0न0 45 रकबा 0.03 है0, ख0न0 108 रकबा 0.02 है0, ख0न0 109 रकबा 0.84 है0, ख0न0 318/451 रकबा 0.02 है0, ख0न0 597 रकबा 0.38 है0 कुल रकबा 1.83 है0 ग्राम बिनेगा की मौका एवं रिकार्ड की स्थिति ताफैसला दावा यथावत बनाये रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 19-12-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.01.15 11:49:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: